## न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्र० क्र० — 2003 नि०

R. 1287-III/03

रामजीलाल पुत्र फूलसिंह जाति गूजर
निवासी मामोन तहसील ईसागढ
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

—— निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन

आज दि० 28/8/03 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

28 AUG 2003

## निगरानी

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 135/निगरानी/2002—03 आदेश दिनांक 4/7/2003 के विरूद्ध म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 50 के तहत।

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानी निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :—

1/ यह कि न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय का आदेश विधि विधानानुसार न होने के कारण निरस्ती योग्य है।

2/ यह कि भूमि ग्राम मामोन के सर्वे क्रमांक 133 रकवा 1.150 हे भूमि का आवेदन म.प्र. कृषि प्रयोजनों के लिये दखिल रहित भूमि के विशेष अधिनियम के 1984 के तहत तहसीलदार महोदय के यहाँ प्रस्तुत किया था।

तहसीलदार महोदय द्वारा विधिवत उदघोषणा जारी कर विधिवत साक्ष्य लेकर, ग्राम पटवारी से वयान लेकर आवेदक निगरानीकर्ता के हक में व्यवस्थापन किया गया था। आवेदक भूमिहीन होने के कारण विशेष उपबंध अधिनियम के तहत पात्रता होने के कारण आवेदक के हित में व्यवस्थापन किया गया था।

3/ यह कि उक्त प्रकरण को न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय अशोकनगर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जिसका प्र.क्र. 145/स्व. निगरानी/97—98 था। जिसमें दिनांक 20/4/99 को अपर कलेक्टर महोदय द्वारा निरस्त्त कर दिया।

जबकि आवेदक नितान्त भूमिहीन है। उसके पास 1 विसवा भूमि नहीं है। आवेदक का उक्त भूमि पर आधिपत्य है। आज से नहीं सन 1980 से उक्त भूमि पर काबिज होकर फसल बोकर काटकर लाभ लेता चला आ रहा है। आवेदक द्वारा साक्ष्य में कब्जा सिद्ध

।। 2 ।। पर निरंतर

R. 1287-III/03 जिला-अशोकनगर-

| | |
|---|---|
| 13.10.12 | आवेदक एवं आवेदक अभिभाषक विगत कई पेशियों से उपस्थित नहीं हुये हैं। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।<br>अनावेदक शासन की ओर से पैनल Advocate उपस्थित।<br>सदस्य |

[कृ. प. उ.